5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

35

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा

RE-301

(म0प्र0)

II/निग0/रीवा/2018/0483

रवीन्द प्रसाद शुक्ला तनय श्री बैजनाथ प्रसाद शुक्ला निवासी मोहल्ला ढेकहा बीडा बनकुइंया रोड रीवा म0प्र0

.................................निगरानीकर्ता

बनाम

1. शंभू प्रसाद शुक्ला तनय जमुना प्रसाद शुक्ला
2. अजय कुमार शुक्ला तनय शंभू प्रसाद शुक्ला
3. पुनीत कुमार शुक्ला तनय शंभू प्रसाद शुक्ला
4. सुधांशु कुमार शुक्ला तनय शंभू प्रसाद शुक्ला

   सभी निवासी मोहल्ला ढेकहा बनकुईया रोड तहसील– हुजूर, जिला रीवा म0प्र0।
5. तहसीलदार, हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

.........................अनावेदकगण

अधि0 श्री जितेन्द्र वर्मा
द्वारा पेश
17-01-18
17-01-18
कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 विरुध्द आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20.05.16, प्रकरण कमांक 13/अ–12/2015–16 के विरूद्ध।

मान्यवर,

यह कि उपरोक्त निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्य व आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है कीः–

1. यह कि अना0 क0 2 त 4 आपस मे सगे भाई है, जिनके पिता अनावेदक क0 1 है। अनावेदक क0 1 शम्भू प्रसाद शुक्ला निगरानीकर्ता के मौसेरे भाई है। निगरानीकर्ता एवं अन्य भाई जगदीश प्रसाद शुक्ला (जो इस प्रकरण मे पक्षकार नही है) आपस मे सगे भाई है। यह कि उपरोक्त तीनो भाईयो का परिवारिक आपसी हिस्सावाट मे भूमि खसरा कमांक 15 कुल रकवा 2.73 ए0/1.104 हे0 स्थित ग्राम खुटेही 134 हल्का ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा प्राप्त हुई। उपरोक्त आपसी परिवारिक हिस्सावाट

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/2018/0483

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
07-3-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री हिमांशु शुक्ला उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 15.3.18 पेशी नियत है, जबकि इसी से संबंधित प्रकरण में पेशी दिनांक 24.1.18 नियत है दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की जाना न्यायोचित होगी। अधिवक्ता के तर्को पर विचारोपरांत प्रकरण आज सुनवाई हेतु लिया जाता है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 13/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.5.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि नक्शा तरमीम के आधार पर आवेदक द्वारा अपने स्वत्व की भूमि खसरा कमांक 15/2 रकवा 0.234 डि0/0.58 डि0 का अनुपात अनुसार रकवा 0.41 एकड़ के सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उपरोक्त सीमांकन में राजस्व अधिकारी द्वारा आवेदक के स्वत्व की भूमि का तरमीम किये गये नक्शा दिनांक 23.12.15 अनुसार उसकी चर्तुभुजा की सही नाप नहीं की गई तथा मन माने रूप से सीमांकन प्रतिवेदन व नक्शे में आवेदक की भूमि की पत्थर 1 से 2 की	

दूरी 1.00 जरीब 2 से 3 की दूरी 3 जरीब, 3 से 4 की दूरी 1.50 जरीब तथा 4 से 1 की दूरी 3.10 जरीब लेकर की गई व इस अनुसार नक्शे अनुसार कुल रकवा 0.38 एकड़ लेख किया गया, जबकि वास्तव में पत्थर 1 से 2 की दूरी 1.10 जरीब 2 से 3 जरीब की दूरी 3.20 जरीब 3 से 4 की दूरी 1.50 जरीब तथा 4 से 1 की दूरी 3.40 जरीब थी तथा कुल रकवा 0.41 एकड़ होता था। आवेदक की उपरोक्त भूमि का कुल रकवा 0.41 एकड़ होने की पुष्टि नक्शा तरमीम आदेश से भी होती है जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदक की भूमि का कुल रकवा 0.41 एकड़ का नक्शे में तर्मीम किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है जिस कारण से राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये सीमांकन कार्यवाही में गलत नाप की गई व आवेदक की भूमि के राजस्व नक्शे में वास्तविक तरमीम नक्शे रकवा 0.41 एकड़ से 0.03 एकड़ कम की नाप की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि सीमांकन दिनांक 20.5.16 को निरस्त कर आवेदक के स्वतव की भूमि खसरा कमांक 15/2 के नवीन सीमांकन की कार्यवाही पूर्व से तर्मीम नक्शा की सही नाप कर कुल रकवा 0.41 एकड़ के हिसाब से नये सिरे से सीमांकन की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4—आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक की उपरोक्त भूमि का कुल रकवा 0.41 एकड़ होने की पुष्टि नक्शा तरमीम आदेश से भी होती है जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदक की भूमि का कुल रकवा 0.41 एकड़ का

नक्शे में तर्मीम किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है जिस कारण से राजस्व अधिकारी द्वारा किये गये सीमांकन कार्यवाही में गलत नाप की गई व आवेदक की भूमि के राजस्व नक्शे में वास्तविक तरमीम नक्शे रकवा 0.41 एकड़ से 0.03 एकड़ कम की नाप की गई है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.5.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5—उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 13/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 20.5.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक की भूमि खसरा कमांक 15/2 रकवा 0.41 एकड़ राजस्व नक्शे में वास्तविक तर्मीम नक्शे रकवा 0.41 एकड़ भूमि का दल गठित कर उभयपक्ष को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सीमांकन की कार्यवाही पुनः करें।

सदस्य